न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 83/2006 (धारा 76 भू राज. अधि. 1956) (RCMS No.2006/00021)

कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री रघुनाथ प्रसाद जाति वैश्य निवासी नई मण्डी भरतपुर वर्तमान पता C/O ओमप्रकाश मुकेशचंद सिंघल सर्राफ, देवनारायण मंदिर के पास, बुद्ध की हाट, भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. (मृतक) तोता पुत्र स्व0 जंगल माली जरिये विधिक प्रतिनिधिगण
   1/1 (मृतक) श्रीमती मूलो पत्नी स्व0 तोता
   1/2 मुकेश पुत्र स्व0 तोता
   1/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 तोता
   } जातियान माली, निवासीयान आर. बी.एम.हॉस्पीटल के सामने,सरकूलर रोड,सूरजपोल मौहल्ला भरतपुर।
   1/4 श्रीमती पार्वती पुत्री स्व0 तोता पत्नी गौरीशंकर जाति माली निवासी आरबीएम हॉस्पीटल के सामने, सरकूलर रोड, सूरजपौल मौहल्ला भरतपुर । वर्तमान पता ग्राम तारसी, धनगांव के पास जिला मथुरा (उ0प्र0)
2. नत्थी पुत्र स्व0 जंगल जाति माली निवासी आरबीएम हॉस्पीटल के सामने सरकूलर रोड, सूरजपौल मौहल्ला भरतपुर।
3. (मृतक)रूपसिंह पुत्र स्व0 जंगल जाति माली जरिये विधिक प्रतिनिधिगण
   3/1 श्रीमती श्यामवती पत्नी स्व0 रूपसिंह
   3/2 लोकेश पुत्र स्व0 रूपसिंह
   3/3 राकेश पुत्र स्व0 रूपसिंह
   3/4 योगेश पुत्र स्व0 रूपसिंह
   3/5 सोहन पुत्र स्व0 रूपसिंह
   3/6 हितेश पुत्र स्व0 रूपसिंह
   } जातियान माली निवासीयान आरबीएम हॉस्पीटल के सामने, सरकूलर रोड, सूरजपौल मौहल्ला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

4. विमलादेवी पत्नी स्व0 श्री रघुनाथ प्रसाद जाति वैश्य निवासी नई मण्डी भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 29.05.2006 एवं तहसीलदार भरतपुर वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979

उपस्थितिः–

1. श्री कृष्ण कुमार अपीलान्ट स्वयं।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 09.04.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 एवं अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.05.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार भरतपुर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की डिक्री दिनांक 16.01.1979 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 वाकै कस्बा भरतपुर चक नम्बर 2 खोला किया गया, जिसके द्वारा विवादित आराजी किता–6 रकबा 2–12 वहक विमलादेवी पत्नी रघुनाथ प्रसाद 1/2 व कृष्णा पुत्र रघुनाथ प्रसाद कौम वैश्य 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज करने की आज्ञा पारित की गई। इस नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 को अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष चुनौती दी गई। अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ने प्रकरण में वाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2006 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई और यह आदेश दिये कि अपीलान्ट अपने स्वत्व/अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने हेतु स्वतन्त्र है। अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2006 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा उक्त द्वितीय अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 29.05.2006 विधिविरूद्ध व रिकार्ड तथा तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित डिक्री दिनांक 16.01.1979 के आधार पर जारी किये गये इजराय कैफीयत पत्र कमांक 317 तारीख 22.03.1979 के आधार पर खोला गया है। इसमें चक नम्बर 2 के स्थान पर चक नम्बर 3 परिवर्तित कर दिया गया। जबकि इस तरह की कोई डिक्री उपखण्ड अधिकारी की ओर से जारी नहीं की गई है। अर्थात् फर्जी डिक्री के आधार पर उक्त नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया था। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये उपरोक्त नामान्तकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से अपील पेश की गई थी, जो कि स्थानान्तरित होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 29.05.2006 के द्वारा खारिज किया गया है। तहसीलदार भरतपुर की ओर से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 को स्वीकृत किया गया था। जबकि राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 22.07.1977 के द्वारा नामान्तकरण करने के अधिकार भू प्रबन्ध विभाग को आ गये थे। तहसीलदार द्वारा इसके बाबजूद भी क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर उक्त नामान्तकरण को स्वीकृत किया है। इस तथ्य को अदालत मातहत में अपीलान्ट द्वारा बताया गया था, परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को केवल मात्र इस आधार पर खारिज किया है कि उक्त आधार को मीमो आफ अपील में नहीं लिखा गया था। अतिरिक्त

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलान्ट की ओर से सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात जिनको की रिकार्ड पर लिया गया है, के संबंध में समुचित विवेचन करने के बाद ही निर्णय पारित करना था, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन दिनांक 22.07.1977 को रिकार्ड पर लिया जा चुका था। इसके अलावा क्षेत्राधिकार होने संबधी प्रावधान भी एक्ट में ही हैं। जिसके अनुसार भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नामान्तकरण के अधिकार तहसीलदार को नहीं होकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी में निहित हो जाते हैं, परन्तु अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अधिसूचना की प्रति और न ही अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर कोई ध्यान दिया गया, जो कि उच्च न्यायालयों की ओर से प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि नामान्तकरण संख्या 46 की पालना मौके पर संभव नहीं है, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 1793, 1794, 1796, 1797, 1798, 1800/10 विस्बा कुल किता–6 रकबा 2 बीघा 12 विस्बा का नामान्तकरण अपीलान्ट एवं तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 4 के हक में करने की आज्ञा दी गई है। इसमें खसरा नम्बर 1800 का रकबा 14 विस्बा है, परन्तु उक्त नामान्तकरण में खसरा नंबर 1800 का रकबा 10 विस्बा ही दर्ज किया गया है। उक्त रकबे को कम किये जाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश उपखण्ड अधिकारी की ओर से जारी इजराय की आज्ञा में नहीं होने के बाबजूद रकबा कम किया गया था तथा इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि खसरा नंबर 1800 के रकबे के कौन से हिस्से का नामान्तकरण खोला गया है। बिना अधिकार के तहसीलदार द्वारा एक खसरे के दो टुकडे किये गये हैं, जो कि नियम विरूद्ध था। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के इस तर्क पर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि आराजी खसरा नम्बरान के बारे में समस्त रिकार्ड तहसील में रखा जाता है। इस रिकार्ड से यह पता चलता है कि किस खसरा नम्बर का क्षेत्रफल क्या है, उसकी लम्बाई चौडाई क्या है, खातेदार कौन है तथा नक्शे से पता चलता है कि नम्बर कहां स्थित है तथा जब भी किसी खसरा नम्बर के दो या अधिक टुकडे होते है तो तहसीलदार स्वयं मौके पर जाते है एवं अपने निर्देशन में डिमार्केशन करवाते हुये नक्शा आदि बनाकर अलग नम्बर बनाते हैं। इसके संबध में राजस्व मण्डल की ओर से जारी नियम 18 से 21 में प्रावधान दिये हुये हैं, परन्तु तहसीलदार ने ना तो उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय से यह निर्देश लिये कि नम्बर कहां बनाना है और ना ही असल पत्रावली मंगवाई तथा ना ही नियम 18 से 21 की पालना में कोई कार्यवाही की गई। इस प्रकार तहसीलदार की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण राजस्व मण्डल की ओर से जारी नियम संख्या 18 से 21 के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के द्वारा पारित की गई इजराय की अनुपालना तहसीलदार द्वारा की गई है। इसलिए इसमें कोई अनियमितता किया जाना नहीं माना जा सकता है। अदालत मातहत का उपरोक्त अभिमत भी गलत है, क्योंकि यदि किसी आदेश की पालना करने के दौरान कोई त्रुटी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी का दायित्व है कि ऐसी त्रुटि के बारे में संबंधित न्यायालय की जानकारी में लाकर समुचित निर्देश प्राप्त करने के बाद ही कार्यवाही करें, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार भरतपुर द्वारा खसरा नंबर 1800 के टुकड़े करते हुए चक में भी बदलाव किया है, जो कि बिना किसी आदेश के किया गया है। अतः तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण क्षेत्राधिकार के बाहर है, परन्तु इस बिन्दु पर भी अदालत मातहत द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा अदालत मातहत का यह मानना भी कतई गलत है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार भरतपुर के समक्ष इजराय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इसलिए उक्त नामान्तकरण के संबंध में उसे पूर्व में जानकारी थी। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र तरतीवी रैस्पोडेन्ट नम्बर 4 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मात्र प्रार्थना पत्र पेश होने व कैफीयत पत्र जारी होने से ही नामान्तकरण स्वीकृत होने की जानकारी नहीं मिल जाती है। उक्त प्रकरण में तो तहसीलदार भरतपुर को स्वयं मौके पर आकर नम्बर बनाने थे, परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना मौके पर जाए कैफीयत पत्र रिकार्ड पर लगाया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि बिना हिस्सा दिखाये उक्त कैफियत पत्र की पालना किया जाना संभव नहीं है। जब तक सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार भरतपुर द्वारा नये नम्बर नहीं बनाये जाते हैं, तब तक विवाद का कारण प्रतिदिन पैदा होता रहेगा तथा पक्षकारान के मध्य बहुवाद पनपता रहेगा। इसलिए उपरोक्त प्रकरण में मियाद संबंधी बिन्दु प्रभावी नहीं रहता है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के अभिभाषक की ओर से बहस में प्रस्तुत नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर स्वीकृत किया गया नामान्तकरण अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए है। इस तरह के आदेश पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वरन् ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट के इस तर्क को भी नहीं माना कि रैस्पोडेन्ट तोता अपनी भूमि का हिस्सा जो आधे भाग का एक तिहाई है, दौराने अपील अन्य को बेच चुका है। जिसमें अपीलान्ट के नम्बर भी शामिल हैं। अतः तोता उपरोक्त प्रकरण में प्रभावित पक्षकार नहीं था। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने स्वयं के स्तर पर बहस की थी। यदि रैस्पोडेन्ट तोता को उनके अभिभाषक द्वारा न्यायालय में बुलवाकर वस्तुस्थिति की जानकारी ली जाती तो सही स्थिति अदालत मातहत के समक्ष आ सकती थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि डिक्री मात्र अपीलान्ट एवं तरतीवी रैस्पोडेन्ट के पक्ष में बनी है। इस डिक्री से असल

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रैस्पोडेन्टान को कोई लाभ नहीं मिलना है इसलिऐ वो प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। रैस्पोडेन्टस का यह कथन कि भू प्रबन्ध विभाग को रिकार्ड भेजने से पूर्व तहसीलदार भरतपुर द्वारा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया था निराधार है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के साथ भू प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक प्रस्तुत किया गया है। इस खसरा पत्रक के कॉलम संख्या 22 में समस्त विवादित नम्बरान पर तोता, नत्थी, रूपसिंह हिस्सा 1/2 खातेदार एवं कृष्णकुमार, श्रीमती विमलादेवी हिस्सा 1/2 खातेदार के रूप में दर्ज हैं। इस खसरा पत्रक में नये इन्द्राज के संबध में दो नये नोट भी लग रहे हैं, जो वर्ष 1985 के बाद के हैं तथा अनियमित तरीके से लगाये गये हैं। इनमें पहला नोट मि0नं0 959/85 के संबध में है। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी ने लिखा है कि जमाबन्दी के विपरीत अंकन कर मु0 सिंगारदेवी का नाम दर्ज कर परिवर्तन के आदेश लिये गये हैं, जो नियम विरूद्ध है अर्थात अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट का नाम गायब कर सिंगारदेवी का नाम जोडकर गलत रिपोर्ट पेश कर आदेश लिये गये हैं व दूसरा नोट मि0नं0 1423/87 के आधार पर हुआ था। इसे रूपसिंह के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत किया गया था। इस फैसले में तोता, नत्थी, रूपसिंह का नाम रिकार्ड में दर्ज होना था, परन्तु तोता, नत्थी 1/2 तथा रामभरोसी व रामबाई आधा दर्ज किया गया अर्थात प्रार्थना पत्र पेश करने वाले का नाम ही गायब था। इस प्रकार उपरोक्त के अलावा अन्य प्रकरणों को एक साथ फैसल करते हुये उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 31.05.1991 में यह उल्लेख किया है कि डिक्री दिनांक 16.01.1979 में खसरा नम्बर 1800 मिन रकबा 10 विस्वा अंकित किया है। इसमें दिशा अंकित नहीं है इसलिऐ डिक्री का भी बिना मौके राजस्व में बटा नम्बर नहीं दिया जा सकता है। डिक्री पहले स्पष्ट होना आवश्यक है। इसमें यह भी लिखा गया है कि उक्त प्रकरण में अनियमितताऐं हुई हैं। इसलिए विस्तृत जांच का उल्लेख करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था। उपखण्ड अधिकारी की ओर से पारित उपरोक्त निर्णय अदालत मातहत में पेश किया गया था, परन्तु उपरोक्त निर्णय के संबंध में भी अदालत मातहत द्वारा कोई अभिमत अपीलाधीन निर्णय में नहीं दिया गया। इसके अलावा भू प्रबन्ध विभाग की ओर से भी उपरोक्त प्रकरण में कई अनियमितताऐं की गई हैं। इसकी पुष्टि हेतु खसरा पत्रक की नकल पेश की गई है, जिसमें नामान्तकरण संख्या 46 के अनुसार भू प्रबन्ध विभाग के रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं हो रहा है। मौके पर अभी भी नामान्तकरण संख्या 46 का कियान्वयन नहीं हो पाया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वकील अपीलान्ट की ओर से प्रकरण के गुणावगुण पर बहस नहीं कर डिक्री की वैधानिकता व तहसीलदार की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण के संबंध में बहस की है, परन्तु अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील में डिक्री के फर्जी होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में तहसीलदार का क्षेत्राधिकार नहीं होने के बिन्दु को ही उठाया। अतः जो बिन्दु

न्यायालय संभागीय आयुक्त * भरतपुर संभाग, भरतपुर *

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अदालत मातहत में या अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील में नहीं लिए गए हैं, उनके संबंध में बहस नहीं की जा सकती है, क्योंकि अदालत हाजा को अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार करना है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.05.2006 में उल्लेख किया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित व पर्याप्त अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय स्पष्ट व स्पीकिंग पारित किया है। जिसमें स्पष्ट रूप से माना है कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित की गई इजराय की पालना में नामान्तकरण खोला गया है। जिमसें कोई अनियमितता किया जाना नहीं माना जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित निर्णय व डिक्री की अपीलान्ट की ओर से किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है। इसलिए उक्त डिक्री के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को चुनौती दिया जाना नियम विरूद्ध है। तहसीलदार द्वारा इजराय के आंधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को इतने वर्षो के बाद चुनौती दी गई है। यदि डिक्री में कोई फर्जीवाडा था तो अपीलान्ट के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं करवाई गई। इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अदालत मातहत में अपीलाधीन निर्णय में यह भी माना है कि अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर अपील पेश की गई थी, क्योंकि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में हो चुकी थी। इसके बाबजूद भी प्रकरण के गुणावगुण पर भी अदालत मातहत द्वारा उक्त निर्णय में विवेचन किया गया है। चूंकि तहसीलदार भरतपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी की ओर से जारी डिक्री की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया था। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित डिक्री की अपीलान्ट के द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। इस कारण उक्त डिक्री आज भी प्रभावी है। इसलिए तहसीलदार भरतपुर द्वारा उपरोक्त डिक्री के आधार पर खोले गये नामान्तकरण में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को सही खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 29.05.2006 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 46 की पालना मौके पर किया जाना संभव नहीं था, क्योंकि उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 4 के हक में करने की आज्ञा दी गई थी। जबकि खसरा नंबर 1800 रकबा 14 बिस्वा के 10 बिस्वा रकबा जिसके संबंध में नामान्तकरण खोला गया है, के संबंध में कोई निर्देश इजराय पत्र में नहीं होने के बाबजूद गलत नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के दौरान विवादित खसरा नम्बरान के नये नंबर बनाये गये हैं। यदि भूप्रबन्ध विभाग में उपरोक्त प्रकरण संबंधी पत्रावली चली जाती तो सर्वे में बने नये नम्बरों के आधार पर सही नामान्तकरण खोला जा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सकता था। अपीलान्ट द्वारा इस संबंध में अदालत मातहत में आपत्ति भी की गई थी, परन्तु इस आपत्ति को अदालत मातहत ने नजरअंदाज किया है। इजराय के संबंध में अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र भी लगाया गया था, परन्तु उक्त प्रकरण भू प्रबन्ध विभाग में नहीं जाने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी व पुराने नंबर के आधार पर ही नामान्तकरण खोल दिया गया। जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि नामान्तकरण में वर्णित भूमि के खसरा नंबर, क्षेत्रफल व लम्बाई चौड़ाई क्या है। यदि नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व तहसीलदार द्वारा मौका देख लिया जाता व नियमों की पालना कर ली जाती व उक्त प्रकरण निस्तारण हेतु भू प्रबन्ध विभाग को भिजवा दिया जाता तो वस्तुस्थिति सामने आ सकती थी, परन्तु इस बिन्दु को भी अदालत मातहत द्वारा भी नहीं देखा गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 29.05.2006 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 के विरूद्ध इस आधार पर अपील पेश की गई थी कि तहसीलदार द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त निर्णय की अपीलान्ट को दिनांक 14.10.1985 को जानकारी होने पर जानकारी के अन्दर मियाद अपील पेश कर दी गई है। अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से जवाब व काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया। अपील के विचारित रहने के दौरान अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत विभिन्न दस्तावेजात पेश किये गये। जिसे अदालत मातहत द्वारा समय–समय पर रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण के द्वारा बहस में उल्लेखित किये गये तथ्यों का हवाला देते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.05.2006 को पारित किया है। जिसमें यह माना है कि तहसीलदार भरतपुर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की इजराय क्रमांक 317 दिनांक 22.03.1979 के तहत नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, जो उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा वमुकदमा दीवानी विमला बनाम तोता वगैराह में पारित डिक्री दिनांक 16.01.1979 की अनुपालना में पारित किया गया है। उक्त निर्णय के संबंध में अपीलान्ट को जानकारी होने के संबंध में प्रस्तुत लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र का उल्लेख करते हुए यह माना है कि रैस्पोडेन्ट के द्वारा अपने जवाब में इजराय का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पेश किये जाने

का उल्लेख किया है, जो यह प्रमाणित करता है कि अपीलान्ट को तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित निर्णय की जानकारी पूर्व से थी। इस निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि प्रारम्भिक डिक्री के बाबत अन्तिम डिक्री का कोई प्रमाण भी अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया। क्षेत्राधिकार के संबंध में भी यह उल्लेख किया है कि इस बिन्दु को अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में अंकित नहीं किया है। विवादित आराजीयात के बाबत पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित की गई इजराय की अनुपालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है। जिसमें कोई अनियमितता किया जाना नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट की ओर से ऐसा भी कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उपखण्ड अधिकारी की डिक्री को निरस्त कर दिया गया हो। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तकरण को अपील में निरस्त किया जाना उचित नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से जारी डिक्री जिससे अपीलान्ट के पक्ष में भी आधे भाग का इन्द्राज जरिये नामान्तकरण हुआ है, से अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलान्ट अपने स्वत्व/अधिकार नियमित राजस्व वाद में तय करा सकता है। उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर या आधारहीन मानकर खारिज किया है। उपरोक्त निर्णय में हमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.07.1979 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से जारी पत्र क्रमांक 317 दिनांक 22.03.1979 व तहसीलदार के पत्र दिनांक 392 दिनांक 12.04.1979 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण खोला गया है। इसकी जॉच भू अभिलेख निरीक्षक की ओर से किये जाने पर तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 03.07.1979 को नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से तहसीलदार भरतपुर को लिखे गये पत्र क्रमांक 317 दिनांक 22.03.1979 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त पत्र में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने तहसीलदार को यह लिखा है कि बरबिनाय राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी नंबर 5 के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1793/9 बिस्वा, 1797/6 बिस्वा, 1796/12 बिस्वा, 1797/8 बिस्वा, 1798/7 बिस्वा व खसरा नंबर 1800 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाकै कस्बा भरतपुर चक नंबर 2 के कब्जेकाश्त में रहेगा। इसी अनुसार खातेदारी कागजात पटवार में अमल दरामद कराने के हकदार होंगे। अतः उक्त डिक्री कागजात पटवार में अमल किया जाकर रिपोर्ट तामील करवायें। उपखण्ड अधिकारी की ओर से प्राप्त उपरोक्त पत्र को तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को पालनार्थ प्रेषित किया है। जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 08.05.1979 को भरा गया है। जिसकी भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.05.1979 को जॉच की गई व तहसीलदार द्वारा दिनांक 03.07.1979 को स्वीकृत किया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि उपरोक्त नामान्तकरण में विवादित भूमि के चक नंबर का गलत उल्लेख किये जाने, दिनांक 22.07.1977 से नामान्तकरण करने के अधिकार भू प्रबन्ध विभाग में आने, अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की ओर से सीपीसी की धारा 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन नहीं किये जाने, खसरा नंबर 1800 के 14 बिस्वा रकबे को 10 बिस्वा दर्ज किये जाने व इस खसरा नंबर के संबंध में कोई खुलासा नहीं होने, तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर जॉच नहीं करने, अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को गलत रूप से मियाद बाहर माने जाने आदि का उल्लेख किया है। इस संबंध में हमारा अभिमत यह है कि तहसीलदार भरतपुर को सक्षम राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से उनके न्यायालय में प्रस्तुत वाद में जारी की गई डिक्री की पालना के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर उक्त पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने, जॉच किये जाने व स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की गई है। यदि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित डिक्री में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता है तो उसके लिए अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र थे। हमारे समक्ष अपीलान्ट की ओर से इस तरह का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे स्पष्ट होता हो कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से जारी डिक्री को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो या जिस दिन तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण खोला गया। उस दिन उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से जारी डिक्री या पत्र पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव में हो। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि जिस समय अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। उस समय नामान्तकरण तस्दीक करने की शक्तियां तहसीलदार को नहीं होकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को थी तो इस संबंध में हमारा यह अभिमत है कि प्रथम तो अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में उपरोक्त बिन्दु को लिया नहीं गया था, जिसका उल्लेख विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में भी किया है और द्वितीय उक्त तकनीकी त्रुटि के आधार पर इतने वर्ष बाद नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त नामान्तकरण सक्षम न्यायालय की ओर से जारी आदेश की पालना में खोला गया है। इसी तरह वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किया गया है इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.05.2006 में मियाद के बिन्दु के साथ–साथ अपीलाधीन नामान्तकरण के गुणावगुण पर भी पूर्ण विचार किया है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट के द्वारा बहस में दिया गया यह तर्क कि अपीलाधीन नामान्तकरण प्राथमिक डिक्री के आधार पर खोला गया है। इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से तहसीलदार भरतपुर को लिखे गये पत्र दिनांक 12.03.1979 में पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के आधार

पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया है। जिसकी पालना में उक्त नामान्तकरण खोला गया है। वकील अपीलान्ट ने मीमो आफ अपील में यह भी उल्लेख किया है कि नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नियम 18 से 21 कौन से अधिनियम/नियम से संबंधित हैं। जिनकी तहसीलदार द्वारा पालना नहीं की गई है। इसके अलावा स्वयं अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वाद चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के स्वत्व व अधिकारों का विनिश्चय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत वाद/अपील के माध्यम से ही हो सकते हैं। नामान्तकरण के माध्यम से किसी भी पक्षकार के स्वत्व व अधिकार तय नहीं किये जा सकते जैसा कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.05.2006 में माना है। इस आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 29.05.2006 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 29.05.2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 09.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर